



उ0प्र0विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एट 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ।

Email: ssfhq@uppac.net

पत्र संख्या-यूपीएसएसएफ-प्रतिनियुक्ति निरस्त-2024/1744


दिनांक: मार्च 14, 2024

आदेश

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), उ0प्र0, लखनऊ के विभिन्न आदेशों द्वारा निम्नलिखित कार्मिकों का उ0प्र0 उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय, लखनऊ में हुये, 03वर्ष के प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है:-

क्र0 सं0	पद	पीएनओ	नाम	मूल लियन	स्थापना का आदेश संख्या	निरस्त होने का कारण
1	2	3	4	6	7	8
1	आ0पीएसी	190692678	रोहित सिंह यादव	32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ	डीजी-चार-स्था0 (181)/2024/634 दिनांक 07.03.2024	पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी सेवा से त्याग पत्र देने के फलस्वरूप।
2	आ0ना0पु0	172160032	नागेन्द्र कुमार यादव	मीरजापुर	डीजी-चार-स्था0 (181)/2024/633 दिनांक 07.03.2024	दिनांक 26.04.2023 निलम्बित किये जाने व वर्तमान में उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण।
3	आ0ना0पु0	162800337	अंकित	बागपत	डीजी-चार-स्था0 (181)/2024/632 दिनांक 07.03.2024	दिनांक 20.02.2022 एवं 30.12.2023 को परिनिन्दा लेख से दण्डित किये जाने के कारण।

अतः पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आरक्षी के सम्मुख कालम-06 में अंकित मूल लियन से विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी में किए गए स्थानान्तरण/आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। यह आदेश कार्यवृत्त संख्या यूपीएसएसएफ-प्रतिनियुक्ति निरस्त-2024 दिनांक 13-03-2024 में लिए गए निर्णय के उपरान्त जारी किया जा रहा है।


(ओम प्रकाश यादव)
सेनानायक

कृते अपर पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, लखनऊ।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

2- पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर, बागपत को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

3- सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय एवं पीएसी मुख्यालय, उ0प्र, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- सेनानायक, 03वीं, 05वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, प्रयागराज, सहारपुर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संबंधित कर्मी को उनके मूल लियन तत्काल वापस करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।